

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....सहायक कलेक्टर (300).....मुकाम.....बापूर

.....इस्लाम कोठरी.....बनाम.....आरु राम कोठरी

किस्म मुकदमा.....डा. 300/111/28/11/2021.....51/2021.....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.2.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री .....  ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128  राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।  जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन  तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 20.3.21 ..... को पेश हो।</p>	
30/03/2021	<p>पत्रावली पेश हुई व प्रमाण परिकेन उपस्थित  पीठापीन अधिकारी का पद रिक्त है  अतः पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/06/2021  ही पेश हो।</p>	<p><i>Dan</i>  सहायक कलेक्टर (300)  बापूर  जिला - बाड़मेर</p>
21/06/2021	<p>पत्रावली पेश हुई व प्रमाण परिकेन उपस्थित  पीठापीन अधिकारी का पद रिक्त है  अतः पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/10/2021  ही पेश हो।</p>	
04/10/2021	<p>प्रार्थी व वकील उपस्थित/विप्रार्थी/प्रतिवादी के  नोटिस तामील मय तामील अहकाम/समीक्षा  पीठापीन अधिकारी प्रशासन गौचो के संगे समी-  धान-2021 के अन्तर्गत पेश होने के मिकाल  इलतवा हाइडर आगामी दिनांक 23/05/2022 को  पेश हो।</p>	

23/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नौ नमूने  
तामिल मुद्रा प्राप्त। इन्तजार 30/05/2022 को फेरें ही।  
आदिना दिनांक 30/05/2022 को फेरें ही।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

साधारण उपखण्ड अधि  
क्रमांक नं. 202 10603  
प्रभं

20/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नौ नमूने  
तामिल मुद्रा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया  
गया। विप्रार्थीगणों का वहुत तामिल अनुपस्थित।  
न्यायालय समय तीन बार जावज लगाई गई किन्तु  
जावज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या  
उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ  
विवादा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्टरी  
अमल में लाई जाती है। अतः पालना वटस पत्रावली  
दिनांक - 23/06/2022 को फेरें ही।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
जिला - बाडमेर

23/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल  
अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के  
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के  
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों  
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो  
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी  
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा  
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की  
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बावत नेखमबंदी करवानी  
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार  
किया जाकर. नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का  
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को  
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के  
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क  
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पत्रावली हो, पत्रावली फौसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,  
दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
जिला - बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद/2022/1068

दिनांक : 23/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. इस्लामखा पुत्र अलीखा वगैरा 03, जाति मुसलमान, निवासी श्यामपुरा, पटवार मण्डल गिडा, तहसील गिडा (बाडमेर)

1. आसुराम पुत्र राजूराम वगैरा 12, जाति जाट, निवासी सिसोदिया पाना, पटवार मण्डल गिडा, तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 51/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - गिडा, पटवार मण्डल - गिडा, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 465/98 रकबा क्रमशः 42.03 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 23/06/2022

क्रमांक : वाद/2022/1069-73

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री इस्लामखा पुत्र अलीखा वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री आसुराम पुत्र राजूराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला - बाडमेर